कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)
निविदा आमंत्रण

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय उज्जैन के शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार क्र. एम.पी. 02–ए–0550 तथा कुंटुब न्यायालय उज्जैन के शासकीय वाहन कमांक एम्बेसेडर कार एम.पी.02 6138 को सीलबंद निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से विक्रय किया जाना है। इस विज्ञप्ति में दर्शाई गई नीलामी की शर्तों के अधीन रहते हुए जो व्यक्ति वाहन क्रय करने के इच्छुक हो, वह कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन में दि. 04.12.2017 सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत करें। निविदा की शर्तों का निविदाकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से पालन न किये जाने की स्थिति में स्वयमेव निरस्त की जावेंगी। निविदायें दिनांक 05.12.2017 को सांय 4:30 बजे वाहन नीलामी समिति के सदस्यों एवं जो निविदाकर्ता तत्समय उपस्थित होंगे, की उपस्थिति में खोली जावेगी।

नीलामी किये जाने वाले वाहनों की सूची निम्नानुसार है–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	मॉडल वर्ष	निष्प्रयोजित राशि
1	एम्बेसेडर कार	एम.पी.02–ए–0550	2001	50,000/–
2	एम्बेसेडर कार	एम.पी.02 6138	2002	72,000/–

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphighcourt.nic.in) पर भी देखा जा सकता है। एम्बेसेडर कार की नीलामी के लिए निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैः–

निविदा शर्तें–

1. जिला न्यायालय उज्जैन एवं कुंटुब न्यायालय उज्जैन के कमांक 1 व 2 एंबेसेडर कार जहां, जिस हालत में है, कि नीलामी की जानी है, उसके संबंध में नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 04.12.2017 तक जो भी व्यक्ति नीलामी द्वारा उक्त कार क्रय करना चाहता हो वह अपनी निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 5000/–**का डिमाण्ड ड्राफ्ट** सहित बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन में प्रेषित करें।
2. नीलामी उपरांत निविदा स्वीकृत होती है तब उस निविदाकार को नीलामी राशि उसी दिन नजारत अनुविभाग, उज्जैन में नगदी जमा कराना होगी तथा इसके उपरांत वाहन क्रेता को सुपुर्द किया जावेगा।

3. क्रय किये गये वाहन का रजिस्ट्रेशन सुपुर्द होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर आरटीओ कार्यालय उज्जैन से पंजीयन करवाकर इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

4. एम्बेसेडर कारों की नीलामी के संबंध में जितनी भी बंद लिफाफे में निविदाएं विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 04.12.2017 सांय 5.00 बजे तक नजारत अनुविभाग में प्रस्तुत करें। **उपरोक्त सभी निविदाएं समिति द्वारा दिनांक 05.12.2017 को सांय 4:30 बजे खोली जाऐगी और जो निविदा सबसे अधिक बोली के कारण स्वीकृत की गई होगी उस निविदाकार का नाम सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा।**

5. जिन निविदाकारों की निविदाएं अस्वीकृत होगी उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट उन्हें मूलतः वापिस लौटाया जावेगा।

6. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है और वह नीलामी बोली की राशि जमा करवाने में असफल होता है तो धरोहर की राशि रूपये 5000/– राजसात की जावेगी।

7. निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन को प्राप्त रहेगा।

8. वाहन क्रमांक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

9. वाहन का भौतिक रूप से निरीक्षण हेतु जिला नाजिर, उज्जैन से संपर्क करें।

10. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,
वास्ते/कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म.प्र.

1194/...